न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 125/2025

GCMS NO 2025/290

लखन लाल पुत्र औंकार जाति मीना निवासी विलोपा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. घासी पुत्र गंगाधर
2. सियाराम पुत्र बसन्ता
3. प्यारे लाल बसन्ता
4. भोली पत्नि बसन्ता
5. मारूती पुत्री बसन्ता
6. बुद्विप्रकाश पुत्र मोहरपाल
7. कमली पुत्री मोहरपाल
8. रमेश पुत्र प्रभू
9. ममता पुत्री प्रभू
10. किस्तुरी पत्नि प्रभू
11. आशीष पुत्र अमर सिह
12. गुडडी पत्नि अमर सिह
13. अर्चना पुत्री अमर सिह समस्त जातियान मीना निवासीयान विलोपा तहसील सवाई माधोपुर
14. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
15. हरि सिह पुत्र बदरी जाति मीना निवासी विलोपा तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 290/86 निर्णय दिनांक 01.03.86 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम वैष्णव

दिनांक 11.05.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 01.03.86 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में गंगाधर, मोहरपाल पुत्रान ओकार एवं लखनलाल , प्रभू पुत्रान ओकार द्वारा आराजी खाता संख्या 27 ग्राम विलोपा की आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से विभाजन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा स्टाम्प डयूटी जमा कराये जाने पर राजस्व रिकार्ड मे विभाजन अनुसार अमल किया जावे। जिससे व्यथित होकर अपीलांट लखन पुत्र ओकार द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टगणो के स्वामित्व की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम विलोपा मे स्थित है जिस पर अपीलाट को अपने पिता के जीवनकाल के समय से 1/4 हिस्से पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है। खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2004 से 2023 के खाता संख्या 3 मे अपीलांट के पिता के नाम से साविक कृषि भूमि खसरा न0 68 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 119 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 152 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा , 167 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, 168 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 169 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा, 319 रकवा 14 विस्वा, 320 रकबा 2 विस्वा, 387 रकबा 14 विस्वा, 691 रकवा 3 बीघा 6 विस्वा, 692 रकवा 2 विस्वा, 748 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 790 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 826 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 22 बीघा 7 विस्वा खतौनी बंदोवस्त मे दर्ज है। जो खतौनी बंदोवस्त से स्पष्ट है। अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर खतौनी बंदोबस्त मे दर्ज कृषि भूमि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2033 से सम्वत 2036 के खाता संख्या 2। मे अपीलांट व अपीलांट के खास भाई गंगाधर, मोरपाल,प्रभू के नाम दर्ज थी जो जमाबंदी से स्पष्ट है। अपीलांट के खास भाई गंगाधर,मोहरपाल व प्रभू चालाक किस्म के व्यक्ति थे। राष्ट्रीय लोक अदालत मे पटवारी हल्का से साठ गाठ कर मौके पर पैतृक कृषि भूमि का बंटवारा किये बिना ही सम्वत 2042 सम्वत 2045 के खाता संख्या 27 मे अंकित कृषि भूमि पर अपीलांट का 1/4 हिस्से पर भौतिक कब्जा होते हुए भी दिनांक 01.03.86 को अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पर भी गौर नही किया। अपीलांट न्यायालय मे उपस्थित भी नही हुआ अपीलांट की अगूठा निशानी भी दीगर व्यक्ति से करवा दी गई। मौके पर अपीलांट का पैतृक कृषि भूमि मे 1/4 हिस्से पर भौतिक कब्जा आज भी चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा विभाजन मे दर्ज किये गये खसरा नम्बरो का रकबा भी समा. नही है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन के अनुसार अपीलांट के हिस्से मे मात्र 2 बीघा 18 विस्वा दर्ज किया है। जबकि गंगाधर के हिस्से मे रकबा 5 बीघा 18 विस्वा, मोहरपाल के हिस्से मे रकबा 7 बीघा 9 विस्वा , प्रभू के हिस्से मे 6 बीघा 2 विस्वा भूमि दर्ज की है। इस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। इसलिए खाता संख्या 27 मे अंकित कृषि भूमि का विधिवत व समान रूप से विभाजन नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री भी जारी नही की इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल द्वारा विभाजन के सबंध मे दिये गये निर्देशो की पालना नही की है। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इल्लीगल,इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट के भौतिक कब्जे की कृषि भूमि हाल खसरा न0 2118/1744 रकबा 0.1550 है0, 2115/1744 पर अपीलांट का बुजुर्गो के समय से भौतिक कब्जा होते हुए भी दिनांक 22.9.25 को मौके पर आकर अपीलांट के साथ रेस्पोडेन्टगणो द्वारा झगडा किया एवं ऐलानिया कहा कि विवादित भूमि पैतृक होने से क्या होगा इसकी खातेदारी हमारे नाम से हो रही है। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा विवाद करने पर अपीलांट को सर्वप्रथम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी करने पर दिनांक 23.9.25 को नकल लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 3.10.25 को नकल प्राप्त होने पर हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आधार पर अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.03.86 को अपास्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी सहमति के आधार पर किये गये विभाजन के विरूद्ध पेश की गई है जो सर्वप्रथम ही खारिज योग्य है क्योकि आपसी सहमति से हुए विभाजन के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही है। इस मत को माननीय राजस्व मंडल एंव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न मतो मे माना है। इसके साथ ही अपीलाधीन आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित आदेश है जिसके विरूद्ध भी अपील चलने योग्य नही है क्योकि राष्ट्रीय लोक अदालत मे निर्णित हुए प्रकरणो के विरूद्ध अपील पोषनीय नही है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि सत्यता यह है कि अपीलांट को वंटवारे मे प्राप्त हुई भूमि पर ही अपीलांट का कब्जा काश्त है एवं रेस्पो0 का बंटवारे मे प्राप्त हुई भूमि पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वरवक्त विभाजन अपीलांट मौके पर उपस्थित नही था जबकि अपीलांट वरवक्त विभाजन मौके पर उपस्थित रहा है एवं उसके द्वारा सहमति के आधार पर अगूठा निशानी की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को वंटवारे की तत्समय से ही जानकारी रही है फिर भी अपीलांट द्वारा अपील लगभग 38 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपील को बिलम्व से पेश करने के संबंध मे अपीलांट द्वारा जो कारण बताये गये है वह इतनी लम्बी अवधि को क्षम्य योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किये गये वंटवारे अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात मे से रेस्पो0 किस्तुरी पत्नि प्रभू द्वारा अपने हिस्से मे आई आराजीयात खसरा न0 2115/1744 रकवा 0.1550 है0 को हरि सिह पुत्र बदरी मीना निवासी विलोपा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी सहमति व राष्ट्रीय लोक अदालत मे पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है तथा अपील काभी लम्बे अर्से के पश्चात प्रस्तुत की गई जो पोषनीय नही होने के साथ साथ मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात दर्ज साबिक खाता संख्या 27 ग्राम विलोपा गंगाधर,मोहरपाल,लखनलाल, प्रभू पिसरान ओकार की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। उक्त तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन पक्षकारो की आपसी सहमति के आधार पर किया गया है परन्तु विभाजन स्कीम मे अपीलांट को रकबा कम प्रदान किया गया है जिसकी पुष्टि विभाजन स्कीम के अवलोकन से होती है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात मे पक्षकारो को समान 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है जिसे दृष्टिगत रखते हुए ही 1/4 , 1/4 हिस्सा प्रदान करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु को अनदेखा कर विभाजन किया गया है जिसके कारण अपीलांट के हक एवं अधिकार प्रभावित हुए है। चूकि अपीलांट बृद्ध एवं अनपढ व्यक्ति रहा है जिसके द्वारा केवल अगूठाा निशानी की गई है जिसको बंटवारे मे हिस्से के बारे मे किसी प्रकार की कोई जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तत्समय नही कराई होगी तथा पक्षकार आपस मे भाई भाई होने से कभी उनके बीच आरजीयात को लेकर विवाद उत्पन्न नही होने का कथन अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किया गया है। इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी। अपीलांट के उक्त कथन से हम सहमत है। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुए बिलम्ब की अवधि को क्षम्य किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है जबकि अपीलांट को विभाजन के कुल रकबा 2 बीघा 18 विस्वा दिया गया है तथा गंगाधर को 5 बीघा 18 विस्वा तथा मोहरपाल को रकबा 7 बीघा 9 विस्वा व प्रभू को 6 बीघा 2 विस्वा भूमि दी गई है इस प्रकार विभाजन मे पक्षकारो को कम ज्यादा भूमि दी गई है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.03.86 अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना मे साबिक खाता संख्या 27 वाके ग्राम विलोपा तहसील सवाई माधोपुर के भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये नवीन खसरा नम्बरान जो कि पैतृक भूमि से सबंधित है का, उभयपक्ष की उपस्थिति मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से बंटवारा स्कीम तैयार करवाई जाकर बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रकरण मे पुनःविधि सम्मत निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 290/86 मे पारित निर्णय दिनांक 01.03.86 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे साबिक खाता संख्या 27 वाके ग्राम विलोपा तहसील सवाई माधोपुर के भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये नवीन खसरा नम्बरान जो कि पैतृक भूमि से सबंधित है का, उभयपक्ष की उपस्थिति मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से बंटवारा स्कीम तैयार करवाई जाकर बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रकरण मे पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.06.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर